04)
(0755)37716
Fax (0
========
क21

संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

–::विज्ञप्ति::–

एआईएपीजीईटी–2018 द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर म0प्र0 एम0डी0 (होम0) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2018 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में प्रवेश काउंसिलिंग अंतर्गत पंजीयन, अभिलेख सत्यापन, मैरिट प्रकाशन एवं प्रथम चरण का आनलाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम विज्ञापन क्रमांक–जी–18189/2018 दिनांक 30/08/2018 द्वारा जारी किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन हेतु और समय देने की मॉग पर उक्त प्रकाशित काउंसिलिंग कार्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1/ मैरिट सूची तैयार किये जाने का कार्यक्रम–

क.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 05/09/18 से दिनांक 14/09/18 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 06/09/18 से दिनांक 15/09/18 सायं 05:30 बजे तक
2	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 17/09/2018

2/ प्रथम चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम–

1	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रमों एम0डी0 (होम0) की प्राथमिकता कम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 18/09/18 से 20/09/18 रात्रि 11:59 बजे तक
2	सीट आवंटन	दिनांक 26/09/18
3	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 27/09/18 से 30/09/18 रात्रि 11:59 बजे तक
4	अपग्रेडेशन का सीट आवंटन	दिनांक 03/10/18
5	अपग्रेडेशन के बाद संस्था में अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 04/10/18 से 05/10/18 रात्रि 11:59 बजे तक

नोट:–

1– अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– उक्त ऑनलाइन काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयो को सम्मिलित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार में मान्यता हेतु लंबित आयुष महाविद्यालयों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर उक्त प्रवेश नियम के नियम–21.3 अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।

3– पंजीयन के पूर्व नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए म0प्र0 एम0डी0 (होम0) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2018 देखे जो **www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।

4– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश नियम–2018 में संलग्न फीस चार्ट के पूर्ण रूप से अध्ययन पश्चात् ही शासकीय (स्वशासी)/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों की च्वाईस लॉक करे। च्वाईस लॉक करने के उपरान्त यह माना जावेगा कि आपको संबंधित महाविद्यालय की प्रदर्शित फीस संरचना स्वीकार्य है।

5– प्रवेश हेतु इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्ट्रेशन सह मैरिट तैयार किये जाने की प्रक्रिया उक्त नियम के नियम–10 एवं 11.2 के अनुसार एक ही बार (उक्त अवधि में) संपन्न की जावेगी तथा उक्त तैयार मैरिट के आधार पर ही प्रवेश काउंसिलिंग की आवश्यक प्रकिया संपादित की जावेगी। रजिस्ट्रेशन दिनांक समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में शामिल नही किया जावेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6– अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त प्रधानाचार्य से महाविद्यालय की निर्धारित फीस राशि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर निर्धारित फीस का ड्राफ्ट बनवाकर ही प्रवेश प्राप्त करे। बाद में फीस संबंधी कोई आपत्ति मान्य नही होगी। प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त, संचालनालय आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य रहेगा।

7– विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल की बेबसाइट **www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ0 सतीश चन्द्र शर्मा)
प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0